REGISTERED No. D. 222

The Gazette of India

सत्यमेव जयते

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 24, 1963/BHADRA 2, 1885

PART I—Section 3

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence

No. 1807, dated 6th Aug., 1963.—*Corrigendum*—Ministry of Defence Resolution No. 887-A, dated the 4th March, 1963, published in the Gazette of India, Part I, Section 3, on the 20th April, 1963/Chaitra 30, 1885(S), regarding reconstitution of the State Advisory Committee for Territorial Army & Lok Sahayak Sena in Kerala, is amended as follows to:—

(a) In para. 6, line 4 *for* 'Maharashtra' *Read* 'Kerala'.

(b) In para. 2 under 'Non-official Members' *delete* Serial No. 7 and *Substitute* the following :—

"7. Shri T. K. Gopalakrishna Panicker, Municipal Chairman, *Kottayam*."

GANESH SWARUP, Under Secy.

संख्या 1807, दिनांक 6 अगस्त, 1963.—संशोधन पत्र—केरल राज्य में प्रादेशिक सेना तथा लोक सहायक सेना के पुनस्संगठन संबंधी प्रतिरक्षा मन्त्रालय के संकल्प संख्या 887-A, दिनांक 4 मार्च 1963 में, जो भारत के राजपत्र के भाग प्रथम, अनुभाग तीसरे में 20 अप्रैल 1963/चैत्र 30, 1885 (शाका) में प्रकाशित हुआ था, निम्न संशोधन किया गया है ।

पैरा 2 में "गैरसरकारी सदस्य" के अधीन क्रम संख्या 7 के अन्द्राज को निरसित करके उसके स्थान पर पढ़िए :—

"7 श्री टी० के० गोपालकृष्ण पाणीकर, अध्यक्ष नगरपालिका, कोट्टयम ।"

गणेश स्वरूप, अवर सचिव ।

संख्या 1807-A, दिनांक 31 जुलाई, 1963.—संशोधन—रक्षा मंत्रालय के संकल्प संख्या 245, दिनांक 10 जनवरी 1963 में, जो भारत के राज-पत्र के भाग 1, अनुभाग 3 में दिनांक 2 फरवरी 1963/माघ 13, 1884 (शक) को पश्चिमी बंगाल में प्रादेशिक सेना तथा लोक सहायक सेना की राज्य सलाहकार समिति के पुनर्गठन के विषय में प्रकाशित हुआ है, निम्नलिखित संशोधन पढ़िये :—

"(क) सरकारी सदस्य" शीर्षक में निम्नलिखित नाम क्रम-संख्या 15 पर पढ़िये :—

15. निदेशक, राष्ट्रीय रोजगार सेवा, पश्चिमी बंगाल ।

जे० एन० गोयल, उप-सचिव ।